ANNEXURE A 4

OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSIONS JUDGE : D E L H I

No. 1/Med/DJ/05 Dated : 7th Sept. 2005

Dear Counsel:

Under the guidance of a Committee appointed by the Chief Justice of India composed of Supreme Court and Delhi High Court justices and advocates, a pilot mediation program has begun in the District Court of Tis Hazari. Several Tis Hazari judges have been selected and trained to provide confidential mediation for several different types of civil cases. The goal of mediation is to assist advocates and their clients in resolving their disputes more quickly and on terms of their own choosing.

You have recently participated in one of the first mediations, and we would like to know what you think about your experience. Your cooperation in answering all of the questions on the attached questionnaire will assist the Supreme Court Committee, the Tis Hazari Court, the judicial mediators and all those who are providing assistance to make adjustments to the mediation procedures to make them as useful as possible. Please answer all of the questions honestly, and provide comments and explanations as appropriate.

To assure your anonymity, do not sign the questionnaire. Seal the questionnaire in the envelope provided and return it to the lock box in the mediation cell in the courthouse at room 325.

Thank you for your assistance.

शिव नारायण ढींगड़ा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली

ANNEXURE A 5

TIS HAZARI PILOT MEDIATION PROJECT

CONFIDENTIAL QUESTIONNAIRE
FOR MEASURING EFFECTIVENESS AND QUALITY

To be submitted when all mediation efforts are completed.

1. How did you feel about mediation before you came to this mediation conference?
   Strongly opposed___ Slightly opposed___ Had no opinion___
   Slightly favored___ Strongly favored____

2. Did the mediator explain the mediation process clearly, in a way that you could understand?
   Yes___ No___
   Comments:

3. Did the mediator assure you of confidentiality? Yes___ No___ Don't remember___

4. Was the mediation process helpful in:
   Clarifying legal issues? Yes___ No___
   Clarifying parties' underlying concerns and interests? Yes___ No___
   Improving the relationship between the parties? Yes___ No___
   Providing clients an opportunity to resolve their dispute? Yes___ No___
   Any other way? (Please explain)

5. Did the case settle? Yes___ No___ Don't know yet___

6. What is your opinion about the amount of time the mediator spent on this mediation?
   Not enough time___ About the right amount of time___ Too much time___

7. Which description better fits your experience of the mediator's style in this case?
   (Check only one)
   ___Mediator assisted the parties in negotiating their own agreement
   ___Mediator pressed the parties to accept his/her idea of what the agreement should be

8. If the case did not settle, was there anything the mediator could have done to improve the chances of settlement? Yes___ No___ Not sure___
   Please explain:

9. How fair was the mediation process?
   Very fair___ Somewhat fair___ Somewhat unfair___ Very unfair___
   If you thought the process was unfair, please explain why:

10. How do you feel about mediation now?
    Strongly oppose___ Slightly oppose___ Have no opinion___
    Slightly favor___ Strongly favor____

11. Who was the mediator in this case? _____

12. What type of case was this? Matrimonial___ Landlord/tenant___ Commercial___
    Property Dispute___ Bounced check___ Other (please specify) _____

13. What types of cases do you think are best suited for mediation? _____

    _____

Do you have any other comments or suggestions for improvement of this program?

श्रीमान/श्रीमती जी,

जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू किए गए मध्यस्थता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का उद्देश्य झगड़े/विवाद में संलिप्त विभिन्न पक्षों की सहायता करना है ताकि वे लंबी व जटिल न्यायिक प्रक्रिया को अपनाए बिना अपने झगड़े/विवाद के संभव समाधानों का पता लगा सकें तथा आपसी बातचीत के आधार पर आपस में समझौता कर सकें।

इस कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते है तथा आपसे अनुरोध हैं कि संलग्न प्रश्नावली में उद्धृत प्रश्नों के उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम के बारे में आप जैसा भी सोचते हैं निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख करें। अपना उत्तर देने के लिए आप निर्धारित स्थान पर ☑ का निशान लगाएं। यदि आप इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ अन्य विचार भी हमें बताना चाहते हैं तो उनका उल्लेख कर सकते हैं। जब आप इस प्रश्नावली को पूरा भर ले तो कृपया उपलब्ध कराए गए लिफाफे में इसे बंद करके हमें भेज दें। आपका विवरण पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। अपने विचारों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आप इस प्रश्नपत्र पर हस्ताक्षर न करें।

मध्यस्थता की कार्रवाही पूरी होने तक - यानि जब तक आपके मामले में समझौता न हो जाए या आपके मामले से संबंधित फाइल संबद्ध न्यायालय में वापिस न पहुंच जाए तब तक - आप इन प्रश्नों के उत्तर न दें।

आपकी सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद

जिला एवं सत्र न्यायालय :: दिल्ली

मध्यस्थता कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

1. क्या आपको मध्यस्थता कार्यक्रम के दौरान झगड़े/विवाद से संबंधित अपने मतों/विचारों को प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया? हां...../नहीं.....

2. समझौते की इस कार्रवाही के दौरान क्या आपका वकील/अधिवक्ता भी आपके साथ मौजूद था? हां...../नहीं.....

3. क्या आपके मामलें को कोई समझौता हो पाया? हां...../नहीं.....

प्रश्न संख्या 4 से 6 तक के उत्तर केवल तभी दें यदि आपके मामलें में समझौता हो गया है।

4. क्या आप मध्यस्थता कार्यक्रम के माध्यम से हुए समझौते से पूर्णत: संतुष्ट हैं? हां.....नहीं.....

5. क्या आपके विचार में समझौते की यह कार्रवाही पूर्णत: निष्पक्ष थी? हां.....नहीं.....

6. क्या आपका वकील/अधिवक्ता समझौते की कार्रवाही में आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ? हां.....नहीं....., कोई वकील नहीं किया.....।

7. मध्यस्थता करने वाले न्यायिक अधिकारी ने आपके साथ समझौते के सभी विकल्पों एवं संभावनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की? हां...../नहीं.....

8. समझौते की कार्रवाही के दौरान मध्यस्थता कराने वाले न्यायिक अधिकारी की भूमिका को लेकर आप कैसा महसूस करते हैं?
बहुत अधिक संतुष्ट..... /**कम संतुष्ट**.....
थोड़ा सा असंतुष्ट... ..... /**बहुत अधिक असंतुष्ट**.....

9. क्या मध्यस्थता करने वाले न्यायिक अधिकारी ने समझौते की कार्रवाही के दौरान आपके हितों व चिन्ताओं को बखूबी समझा है ? हां...../नहीं.....

10. आपके मामलें में समझौते की कार्रवाही कहां पर हुई?
न्यायाधीश के कक्ष में...../**मध्यस्थता कक्ष में**.....

11. जहां पर समझौते की कार्रवाही की गई उस कक्ष/जगह के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं?
बहुत अच्छा...../**संतुष्टिजनक**...../**बिल्कुल भी अच्छा नहीं**.....

12. यदि आपको मध्यस्थता करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम याद है तो कृपया बताएं.....

13. क्या आप अन्य लोगों को भी मध्यस्थता कार्यक्रम की सलाह देंगे। हां...../नहीं.....

14. मध्यस्थता कार्यक्रम तथा समझौते की कार्रवाही में और अधिक सुधार के लिए यदि आप कोई सुझाव देना चाहे तो उसका भी उल्लेख यहां कर सकते हैं। अपने सुझाव आप इस पृष्ठ के पीछे लिख सकते हैं।

ANNEXURE A 6

MEDIATED CASE INFORMATION FORM

Suit/Case Number _____

2. From the court of Sh./Ms. _____

3. Case Type : **CIVIL** : ___Recovery ___Damages ___Possession ___Breach of Contract ___Injunction ___Partition ___Probate ___Other Civil Suit

MATRIMONIAL : ___ Petition for Divorce ___ Petition for Maintenance ___ Custody ___ Restitution of Conjugal Rights ___ U/S 125 ___ Custody/Guardianship ___U/s 498A/406 IPC ___ Other Matrimonial Case

RENT: ___Recovery of Rent ___Landlord/Tenant ___Suit for Possession of Premises ___Other Rent Case

OTHER TYPES : ___Section 138 ___Electricity Act ___Labour/Management ___Motor Accident ___House Tax Disputes ___Compounding ___Others (SC/HC) ___Criminal Others

4. Date of filing the case _____

5. Date of referring the case for mediation _____

6. Stage of the case at time of referral :
___ Filing of Petition ___ Consideration ___ Notice ___ Filing of Written Statement
___ Filing of Documents ___ Admission/Denial of Documents ___ Framing of Issues ___ Evidence
___ Final Arguments ___ Judgment ___ Others

7. Name of parties : _____ Vs _____

8. Name of the advocates, if any For Plaintiff _____

For Defendant _____

9. Number of mediations held in this case _____

10. Total time spent in all mediations _____ (in minutes or hours)

11. Did case settle? ____Yes ____No

12. If settled, how many related cases (in other courts) were settled as a result? _____

13. If not settled, what was primary reason?
____ (Not fit for mediation)
____ One or more parties could not obtain authority to negotiate
____ One or more necessary parties never appeared
____ Parties did not participate refused/declined to participate
____ Parties appeared and participated but later refused/declined
____ Could not reach agreement on terms

14. Date of settlement or return of case to referring judge _____

15. Did any party object to referral to mediation? Yes____ No_____

16. Name of the Mediator _____

17. Number of hearings at time of referral _____

- In Bangladesh, the advent of mediated case settlement in the legal system opened the doors to many downtrodden citizens who were previously intimidated by the legal system and generally hesitant to file cases. Mediation created a whole new avenue of practice for those interested in quick resolution of civil matters (including divorce, dowry, small financial matters, etc.). Advocates representing these litigants have found that quick case turnover gave them a new professional opportunity.

- The experience of lawyers in major cities in America have found that their economic situation can be improved after the wide-scale implementation of ADR. The reason is that with ADR, lawyers can handle more cases, and more clients can afford the cases. Thus, the turnover of cases, and receipts increases, and satisfaction of clients increases. Of course, not all cases end up in ADR or are resolved in ADR, and the regular litigation procedures continue for the non-ADR cases.

- Finally, despite the concerns that mediation could adversely affect an advocate's income, there is absolutely nothing that even suggests that lawyers have suffered financially from the advent of ADR in the legal system. Rather, ADR has widened professional opportunities.

What are the Benefits of Mediation for Litigants?

Produces more satisfying results

- Helps settle all or part of the dispute much sooner than trial
- Permits a mutually acceptable solution that a court would not have the power to order
- Saves time and money
- Preserves ongoing business or personal relationships
- Increases satisfaction and thus results in a greater likelihood of a lasting resolution

Allows more flexibility, control and participation

- Tailors the procedures used to seek a resolution
- Broadens the interests taken into consideration
- Fashions a business-driven or other creative solution that may not be available from the court.
- Protects confidentiality
- Eliminates the risks of litigation

Enables a better understanding of the case

- Provides an opportunity for clients to communicate their views directly and informally
- Helps parties get to the core of the case and identify the disputed issues.
- Helps parties agree to exchange key information directly.

Improves case management

- Narrows the issues in dispute and identifies areas of agreement and disagreement.

Reduces hostility

- Improves the quality and tone of communication between parties
- Decreases hostility between clients and lawyers
- Reduces the risk that parties will give up on settlement efforts.

What is the Nature and Period of Training Required for Becoming a Mediator?

To be eligible, an advocate must be a member of the Bar.

Each advocate must successfully complete an intensive 40-hour training programme conducted by the court, which gives the history and purpose of the mediation programme, imparts training in the techniques and skills of mediation and requires participation in role-play scenarios that focus mainly on difficult procedural and ethical issues that may arise in mediation.

MEDIATION
– AN OVERVIEW

National Legal Services Authority

12/11, Jam Nagar House,
Shahjahan Road, New Delhi - 110 011
Ph. : 23382778 Fax : 23382121
E-mail : nalsa1987@yahoo.com

What is Mediation?

Mediation is an attempt at resolving a dispute by settlement with the assistance of a mediator, who is a neutral third party. The mediator may be :

- A judicial officer (retired or sitting Judge)
- An advocate
- An otherwise trained professional.

When a sitting judicial officer acts as a mediator in a case, his services are available free of cost and without any other charge to any of the parties.

What Does a Mediator Do?

A mediator assists the parties in arriving at an amicable solution through negotiation. He facilitates the parties in reaching a mutually acceptable agreement. The parties need not agree to the terms of the settlement if they are not satisfied.

Judges and arbitrators make decisions that are imposed on parties but a mediator helps the parties to evaluate the probable outcome of a dispute and then leads them to an acceptable settlement.

What Happens in a Mediation Session?

A mediator meets both the parties in a joint mediation session. The initial meeting provides for:

- An introduction to the participants and the mediation process.
- An opportunity to discuss issues affecting settlement that are important for the mediator to know.
- An opportunity to determine what information would be helpful for the mediator to have at or in advance of the mediation.

The joint session provides an opportunity for each participant, either directly or through counsel, to express their view of the case to the other participants and how they would like to approach settlement. The opening statements are intended to begin the settlement process, not to be adversarial or a restatement of positions.

Mediation Procedure

Formal procedures as in a Court or arbitration are completely absent in mediation proceedings. Both parties and their advocates participate freely without any set procedures or any rules of evidence.

The absence of formality provides for an open discussion of the issues and allows a free interchange of ideas making it easier for the parties to determine their interest and fashion a solution accordingly.

A mediator may, if necessary, meet the disputing parties individually and in private. Such meetings are completely confidential and are intended to understand the needs of each participant and what prevents him or her from reaching a settlement.

In these private meetings, the mediator often assists parties to prioritize their interest and options for settlement and to assess the relative strengths and weaknesses of their positions.

Once a settlement is reached, the mediator records it with the signatures of the parties.

How is the Mediator Assigned to a Case?

Since mediation is presently being encouraged only in regard to disputes pending in a court, the concerned court may decide whom to nominate as a mediator for a particular dispute, unless the litigating parties agree to a neutral mediator in whom they have full confidence.

Key Points About the Mediation Process

Court-annexed mediation is based on the following principles :

- All mediation proceedings are ***confidential***. Documents generated for the mediation are also confidential and may not be introduced during a subsequent trial should the case not settle.
- Counsel and parties with ***settlement authority*** must attend mediation sessions. Certain exceptions may be granted for institutional parties or if a party is a unit of government.
- Unless the presiding judge indicates otherwise, referral of a case to mediation ***does not stay*** other proceedings in the case or alter applicable litigation deadlines. A judicial officer may, while referring a case to mediation, fix a time limit for completing the mediation process.

Who Protects the Integrity of the Mediation System?

Information about the mediation is confidential and may not be disclosed to the Judge hearing the case. The parties in the pending litigation cannot also use the information.

The High Court has framed Mediation Rules, which can be made available on demand.

Are there any Guidelines for Mediators?

- A mediator should ensure that all parties are informed about the mediator's role and nature of the mediation process, and that all parties understand the terms of settlement.
- A mediator should protect the voluntary participation of each party.
- A mediator should be competent to mediate the particular matter.
- A mediator should maintain the confidentiality of the process.

How will Mediation Reduce Case Backlog in Delhi?

An institutionalized ADR system expedites the justice process by diverting cases to mediation early in the pre-trial process and also in long pending matters.

By resolving cases without going to full trial, litigants and court systems are able to avoid the large and unnecessary delays incurred by a full trial.

In most developed countries having a sound ADR system between 70% and 90% cases are settled and do not go to trial. In India, only about 10% cases in some jurisdictions are settled and about 90% go to trial. This puts a huge burden on the justice delivery system in India.

What are the Benefits of Mediation for Advocates?

Advocates will find that client satisfaction will increase substantially via mediated case settlement.

Commercial entities prefer to spend less time litigating, allowing them more time and energy to dedicate toward their enterprise. After the commercial entities settle their first few disputes quickly and effectively via mediation, they will rehire their advocates to file more cases for quick settlement. For this reason, case turnover is likely to increase, and professional work for advocates will correspondingly increase.

- बंग्लादेश में न्यायायिक प्रणाली मध्यस्थता के द्वारा मुकदमों के समझौतों ने समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए भी द्वार खोल दिए हैं, जो पहले न्यायिक प्रणाली से भयभीत हुआ करते थे और सामान्यतः मुकदमों को दायर करने से हिचकिचाते थे। मध्यस्थता ने उन लोगों के लिए जो सिविल मामलों (तलाक, दहेज, छोटे वित्तीय मामले इत्यादि) का जल्दी निपटान चाहते थे, उनके लिए काम के नए आयाम खोल दिए हैं। अधिवक्ता जो इन मामलों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने भी यह पाया है कि जल्दी मुकदमों के निपटारे ने उन्हें व्यवसाय के नए अवसर दिए हैं।
- अमेरिका के बड़े शहरों में अधिवक्ताओं ने अपने अनुभव से यह पाया है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सुधर सकती है। अगर वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जाए। इसका कारण यह है कि वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) के साथ, अधिवक्ता ज्यादा मुकदमों का संचालन कर सकते हैं और वादकार भी ज्यादा मुकदमे दायर करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार मुकदमे मिलने की संख्या बढ़ जाती है और साथ में वादकारों की संतुष्टि भी बढ़ जाती है। निःसंदेह, सभी मुकदमों का फैसला वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) में नहीं होता और सभी मुकदमें वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) में सुलझते भी नहीं। इसलिए जो विवाद वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) में नहीं सुलझ सकते उनकी नियमित न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय में चलती रहती है।
- अंत में, ऐसा कुछ भी नहीं कि वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) के न्यायिक प्रक्रिया में आगमन से अधिवक्ताओं की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसके बजाय वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) ने उनके व्यावसायिक अवसरों को बढ़ा दिया है।

वादकारियों के लिए मध्यस्थता के क्या लाभ हैं?

ज्यादा संतोषजनक परिणाम

- सारे मुकदमे या उसके किसी भाग को न्यायायिक परीक्षण की अपेक्षा जल्दी निपटाने में सहायता करता है।
- पारस्परिक स्वीकार करने योग्य परिणाम दिलवाता है जो कि न्यायालय के पास आदेश देने का अधिकार नहीं है
- समय और पैसा बचाता है।
- चलते हुए व्यवसाय या व्यक्तिगत रिश्तों को सुरक्षित रखता है।
- संतुष्टि बढ़ाता है, जिससे ज्यादा अच्छे समाधान की उम्मीद बढ़ जाती है।

ज्यादा लचीलापन, नियंत्रण व भागीदारी

- उन विधियों को बनाता है जिससे समाधान पाने में सहायता मिलती है।
- सोच-विचार करके हित पाने के दायरे को बढ़ाता है।
- एक व्यवसाय की तरह रचनात्मक हल दिलवाता है जो न्यायालय से नहीं मिल सकते।
- गोपनीयता को सुरक्षित रखता है।
- मुकदमों के जोखिम को समाप्त करता है।

वाद के सन्दर्भ में अधिक जानकारी देता है

- मुवक्किलों को अवसर प्रदान करता है कि वे अपने विचारों को सीधे और अनौपचारिक तरीके से प्रस्तुत कर सके।
- सभी पक्षों को मुकदमें के जरूरी तथ्यों और विवादित तथ्यों को समझने में मदद करता है।
- सभी पक्षों को सीधे ही मुख्य सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुँचाने में सहायता करता है।

मुकदमे के प्रबंधन में सुधार करता है

- विवाद के तथ्यों को कम करता है और सहमति एवं असहमति को स्पष्ट करता है।

वैर कम करता है।

- सभी पक्षों में सम्प्रेषण की शैली व क्षमता में सुधार लाता है।
- मुवक्किल और अधिवक्ता में वैर कम करता है।
- सभी पक्ष जो समझौते के प्रति प्रयास करते हैं, उनमें खतरे को कम करता है।

मध्यस्थ बनने के लिए प्रशिक्षण की प्रकृति व अवधि क्या है?

इस प्रशिक्षण की योग्यता के लिए, एक अधिवक्ता को बार का सदस्य अवश्य होना चाहिए।

प्रत्येक अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा संचालित 40 घण्टे का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक अवश्य पूरा करना चाहिए, जो कि मध्यस्थता कार्यक्रम का इतिहास और उद्देश्य बताता है, मध्यस्थता की तकनीकें तथा दक्षता के बारे में प्रशिक्षण दिलाता है। प्रशिक्षणार्थियों से अपनी मुख्य भागीदारी निभाने की उम्मीद की जाती है जिसमें मुख्यता ध्यान मध्यस्थता में आने वाली कठिन कार्यवाहियों और नैतिक तथ्यों पर दिया जाता है।

मध्यस्थता
– एक परिदृश्य

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

12/11, जामनगर हाऊस,
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 110 011
दूरभाष : 23382778, 23386176 फैक्स : 23382121
ई-मेल : nalsa1987@yahoo.com

मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता मध्यस्थ की सहायता से विवादों को निपटाने का एक प्रयास है, जो कि एक तटस्थ तृतीय पक्ष है। मध्यस्थ निम्नलिखित हो सकते हैं :-

- एक न्यायिक अधिकारी (सेवानिवृत्त या कार्यरत् न्यायाधीश)
- एक अधिवक्ता
- या कोई प्रशिक्षित पेशेवर

जब एक कार्यरत् न्यायिक अधिकारी किसी मुकदमे में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तो उसकी सेवाएँ मुफ्त उपलब्ध होती हैं और किसी पक्ष पर खर्च का भार भी नहीं पड़ता।

मध्यस्थ क्या कार्य करता है?

एक मध्यस्थ बातचीत के जरिए सभी पक्षों की मैत्रीपूर्ण तरीके से विवाद निपटाने में सहायता करता है। वह सभी पक्षों को आपस में स्वीकार करने योग्य करार दिलाने में मदद करता है। सभी पक्ष, अगर वे संतुष्ट न हों, तो उनके लिए समझौते की शर्तें मानना आवश्यक नहीं है।

न्यायाधीशों और पंचों के फैसले सभी पक्षों पर लागू होते हैं लेकिन मध्यस्थ सभी पक्षों को मुकदमे के संभावित निष्कर्ष का मूल्यांकन करने में मदद करता है ताकि वे स्वीकार करने योग्य समझौते तक पहुंच सकें।

मध्यस्थता सत्र में क्या होना है?

एक मध्यस्थ संयुक्त मध्यस्थता सत्र में दोनों पक्षों से मिलता है। आरम्भिक बैठक इस प्रकार आयोजित की जाती है :-

- मध्यस्थता विधि तथा भागीदारों का परिचय
- समझौते को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का एक अवसर, जो कि मध्यस्थ को जानना आवश्यक है।
- मध्यस्थता के समय अथवा उससे पूर्व कौन-कौन सी सूचनायें मध्यस्थ के लिये सहायक होंगी, को सुनिश्चित करने का अवसर।

संयुक्त सत्र हर भागीदार को यह अवसर प्रदान करता है कि वे स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपने विचारों को दूसरे पक्ष के सामने प्रकट करे कि कैसे वे समझौते तक पहुंचना चाहेंगे। प्रारंभिक कथन समझौते की प्रक्रिया को शुरू करने के उद्देश्य से कहे जाते हैं, जो कि किसी के विरुद्ध या पुनर्कथन नहीं होते।

मध्यस्थता विधि

मध्यस्थता कार्रवाई में न्यायालय या पंच की औपचारिक विधियाँ नहीं होती। दोनों पक्ष व उनके अधिवक्ता पहले से निर्धारित विधियों या कोई साक्ष्य के नियमों का पालन न करते हुए मुक्त रूप से भाग लेते हैं।

औपचारिकता के अभाव में उन्हें यह अवसर मिलता है कि वे मुद्दों पर खुले वातावरण में विचार-विमर्श कर सकें और अपने विचारों को एक-दूसरे के सामने प्रकट कर सकें ताकि वे अपने हित के पक्ष में निष्कर्ष निकलवा सकें।

अगर आवश्यक हो, तो एक मध्यस्थ, विवादित पक्षों से अकेले या निजी रूप से मिल सकता है। ऐसी बैठकें पूर्णतया गोपनीय होती हैं और इनका उद्देश्य सभी पक्षों की जरूरतों को समझना होता है और उनके समझौते तक पहुंचने में क्या अड़चन है, यह समझना होता है।

इन निजी बैठकों में, मध्यस्थ प्रायः सभी पक्षों को अपने हितों का ध्यान रखने में मदद करता है ताकि वे अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान सकें। एक बार जब समझौता हो जाता है, तो मध्यस्थ उसको रिकार्ड करके उस पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर ले लेता है।

मध्यस्थ को मुकदमा कैसे सौंपा जाता है?

अभी तो मध्यस्थता को केवल न्यायालय में लंबित मामलों में ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, संबंधित न्यायालय ही यह निर्णय ले सकता है कि किसी विशेष विवाद में किस मध्यस्थ को नामित किया जाए, जब तक कि मुकदमे के सभी पक्ष तटस्थ मध्यस्थता के लिए सहमत न हों, जिसमें कि उनका पूर्ण विश्वास है।

मध्यस्थता प्रक्रिया विधि के बारे में मुख्य विचार-बिन्दु

न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं :

- सभी मध्यस्थता की कार्यवाहियां गोपनीय होती हैं। मध्यस्थता से संबंधित बनाए गए कागजात भी गोपनीय होते हैं और अगर मुकदमे का फैसला न हो तो उन्हें आने वाले न्यायिक मुकदमे में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
- वकील और सभी पक्षों को, जिनके पास समझौते का अधिकार होता है, उन्हें मध्यस्थता के सभी सत्रों में भाग लेना चाहिए। कुछ संस्थानिक और सरकारी पक्षों को इसमें छूट दी जा सकती है।
- जब तक कि न्यायाधीश न बताये तब तक, किसी मुकदमे का मध्यस्थता की तरफ भेजना मुकदमे की दूसरी कार्यवाहियों को स्थगित नहीं करेगा या मुकदमेबाजी के लिये प्रायोज्य निर्दिष्ट सीमा को नहीं बदलेगा। एक न्यायायिक अधिकारी, जब किसी मुकदमे को मध्यस्थता की तरफ भेजेगा, तब वहां मध्यस्थता की कार्यवाही को पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित कर सकता है।

मध्यस्थता प्रणाली की सत्यनिष्ठा को कौन सुरक्षित रखता है?

मध्यस्थता की सूचना गोपनीय होती है और उसके बारे में मुकदमे को सुनने वाले न्यायाधीश को बताना आवश्यक नहीं होता। सभी पक्ष किसी लंबित मामले में भी इस सूचना का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के नियम बनाये हैं, जो किसी के मांगने पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

क्या मध्यस्थ के लिए कोई दिशा-निर्देश है?

- एक मध्यस्थ को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पक्षों को मध्यस्थ की भूमिका तथा मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है और सभी पक्ष समझौते की शर्तों को समझते हैं।
- मध्यस्थ को प्रत्येक पक्ष की स्वैच्छिक सहभागिता को सुरक्षित रखना चाहिए।
- किसी विशेष मामले की मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थ को सक्षम होना चाहिए।
- एक मध्यस्थ को प्रक्रिया की गोपनीयता को बरकरार रखना चाहिए।

मध्यस्थता किस प्रकार दिल्ली में पुराने मामलों को कम कर सकती है?

एक संस्थानिक वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) न्याय की प्रक्रिया को बड़े समय से लम्बित मामलों और ऐसे विवाद, जो अभी परीक्षण-पूर्व स्थिति में हैं, मध्यस्थता में भेजकर तेज कर सकती है।

इस प्रकार मुकदमों का निर्णय, पूर्ण-परीक्षण प्रक्रिया को न अपनाते हुए, मुकदमेबाज़ एवं न्यायालय-सत्र, पूर्व-परीक्षण में व्यतीत होने वाले अनावश्यक विलम्ब से बचने में समर्थ हैं।

अधिकतर विकसित देशों में जहाँ वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली (ADR) मजबूत है, वहाँ 70 और 90 प्रतिशत के बीच मुकदमे बिना न्यायालय परीक्षण से सुलझा लिए जाते हैं। जबकि भारत में केवल 10 प्रतिशत मुकदमे इस प्रकार सुलझाए जाते हैं और 90 प्रतिशत न्यायालय परीक्षण द्वारा सुलझाये जाते हैं। यह भारत की न्याय-प्रणाली पर बहुत बड़ा बोझ है।

अधिवक्ताओं के लिए मध्यस्थता के क्या लाभ हैं?

मध्यस्थता के द्वारा समझौते से अधिवक्ता भी यह महसूस करेंगे कि वादकारों की संतुष्टि बहुत ज्यादा बढ़ेगी।

वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान यह पसंद करते हैं कि उनका कम समय मुकदमों में लगे और उन्हें ज्यादा समय व ताकत अपने व्यवसाय में लगाने के लिए उपलब्ध रहे। पहले जब वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कुछ मुकदमें जल्दी व प्रभावी तरीके से मध्यस्थता के द्वारा सुलझ जाएंगे तो वे दुबारा अधिवक्ताओं को और मुकदमें जल्दी समझौते के लिए दायर करने के लिए नियुक्त करेंगे। इस कारण से मुकदमों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी और उसी अनुसार अधिवक्ताओं का व्यावसायिक कार्य भी बढ़ेगा।

ANNEXURE A- 8